न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 33/2018
दायर दिनांक– 29.06.2018
निर्णय दिनांक– 23.12.2021
जीसीएमएस नं0 –2018/00027

प्रार्थी

1. श्री देवा वल्द श्री घीसा जाति गुर्जर निवासी नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार, तहसीलदार ,पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 395, 396, 400, को वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 672, 674 में अंकित इन्द्राज अनुसार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम नांद तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट.)
नया 258 पुराना 351	672	10–18–00	395	1.17
	674	00–10–00	396	0.59
			400	0.59
	कुल रकबा	11–02[illegible]	कुल रकबा	2.35

उपरोक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है तथा खातेदारी का इन्द्राज वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार अंकन है। किन्तु भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बनी नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2065 में प्रार्थी की आराजी को सरकारी दर्ज कर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

23.12.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2037 दिनांक 05.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम नांद के वर्किंग जमाबन्दी संवत 2040–41 के खाता संख्या 258 के खसरा नम्बर 672 रकबा 10–18–00 बीघा किस्म बा.3 व 674 रकबा 00–10–00 बीघा कुल किता 02 देवा पुत्र घीसा कौम गुर्जर सा. देह गैर खातेदार अंकित है तथा नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 14.06.95 द्वारा खातेदारी दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 273 रहन दि. द्वारा देवा पुत्र घीसा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार रहन अ.भू.वि.बैंक का अंकित है तथा नामान्तरकरण संख्या 1169 दिनांक 26.06.2013 द्वारा रहनमुक्त का अंकन स्वीकार हुआ। राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबन्दी 2040–41 के खसरा नम्बर 672 मि. रकबा 1.17 बा.3, 672 मि. रकबा 0.59 व 674 मि. रकबा 0.08 का आधार मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है:–

वर्किंग			साबिक		
ख.न.	क्षेत्रफल	किस्म	ख.न.	क्षेत्रफल	किस्म
672 मि.	1.17	बा.3	395	1.17	बा.3
672 मि.	0.59	बा.3	396	0.59	बा.3
674 मि.	0.08	बा.2	400	0.08	बा.2

उपरोक्त खसरा नम्बरान (हाल) 395, 396, 400 आधार जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 01सिवायचक भूमि काबिल काश्त अंकित है तथा वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2040–41 व मौका कब्जा कई वर्षो से होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2040–41 के खाता संख्या 258 अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2040–41 के खाता संख्या 258 अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में बताया कि राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। वकील प्रार्थी ने बहस के साथ ही दस्तावेजात व रूप में न्यायिक दृष्टांत के रूप में 2019 (1) CJ(CIVIL)(RAJ) 528 छोटेराम बनाम राजस्व मण्डल अजमेर, 2013 DNJ (REVENUE) 100 उदयलाल गमेती एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व 2017(2) CJ(CIVIL)(RAJ) 927 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री उदयलाल पेश किए। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि भू–प्रबन्ध अधिकारी प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने हेतु सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

23.12.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

है। उपखण्ड अधिकारी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के तहत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु सक्षम है। राज पैरोकार तहसीलदार पुष्कर ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी के तथ्यों को स्वीकार किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यो यथा–तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 395, 396, 400, को वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 258 के खसरा नम्बरान 672, 674 में अंकित इन्द्राज अनुसार दुरूस्त करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम नांद, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 395, 396, 400, को वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 258 के खसरा नम्बरान 672, 674 में अंकित इन्द्राज अनुसार दुरूस्त किया जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

23.12.21

सुखाराम पिण्डेल

(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested